2019/00002

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| प्रार्थी / अपीलांट | बनाम | अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| श्री देवडा मयूरभाई पुत्र श्री धनजी भाई<br>जाति पटेल आयु वयस्क(29)<br>निवासी मोताणा<br>तहसील टंकारा जिला मोरबी (गुजरात)<br>बहैसियत पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर<br>श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह<br>जाति राजपुत निवासी कानालुज तहसील लालपुर<br>जिला जामनगर (गुजरात)। | | सरकार जरिये<br>अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही |

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट मुकदमा नं. 1 वर्ष 2019

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21.01.2019 | प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम के सी. आर. नं. 09 दिनांक 11.01.2019 में दिनॉक 10.01.2019 को उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का टेंकर नम्बर जी.जे. 10 टी.वी. 6282 पकडा गया हैं। जिसमें 23958 लीटर डीजल भरा हुआ है । उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें।<br><br>प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही श्रीमती नीलिमा शर्मा को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया परिवाद आज दिनांक 21.01.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिसका का अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 10.01.2019 को वक्त 11.05 पी.एम. पर श्री सोमाराम हेडकानि. नम्बर 291 पुलिस थाना पालडी एम ने उप अधीक्षक पुलिस सिरोही को सूचना दी कि महादेव होटल हाईवे नम्बर 62 जो सरहद पालडी एम थाना में स्थित है। जहां होटल के बाहर खाली जगह पर एक टेंकर चालक अपने टेंकर की सील तोडकर डीजल चोरी कर रहा है। एवं होटल के पास स्थित बाडे के मालिक द्वारा उक्त डीजल को अवैध रूप से खरीद कर संचय कर अन्य लोगो को मुनाफा कमाने हेतु उच्चे दामो में बेच रहा है। कार्रवाई हेतु आवें उक्त सूचना मिलने पर उप अधीक्षक पुलिस सिरोही मौके पर पहुचें तो सरहद में महादेव होटल के पास वाहन सं. जी.जे. 10 टी.वी. 6282 टैंकर खडा दिखाई दिया। | |

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

जिसकी टंकी के उपर दो आदमी चढें हुए मिले और एक आदमी नीचे पाईप से डीजल निकालता हुआ दिखाई दिया जिनके पास पहुचने पर टैंकर की टंकी पर चढे एक आदमी कुदकर खेत की तरफ भाग गया और दूसरा टंकी पर चढे आदमी को दस्तयाब किया गया और नाम पता पूछने पर अपना नाम श्री अभय सिंह पुत्र श्री शंकरलाल उर्फ शिवशंकर जाति पाल उम्र 22 साल निवासी अरई पुलिस थाना हन्डिया जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) होना बताया और टैंकर के पास खडे पाईप पकडकर खडे आदमी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम श्री जोगेन्दर यादव पुत्र श्री रामअवतार यादव उम्र 47 साल निवासी बोडीहार थाना बखीरा जिला संत कबीर नगर जिला खलीलाबाद (उ.प्र.) होना बताया।

उक्त दोनो भागने वाले का नाम पता पूछा तो उन्होने उनका नाम श्री संतोष कुमार पुत्र श्री शोभनाथपाल निवासी जलालपुर पुलिस थाना कासबा उतरोंण जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) होना बताया जो वाहन का चालक था। आगे पूछने पर बताया कि उसनें डीजल चोरी करने के लिए टेंकर की सील तोडकर इस टेंकर मे से 40 लीटर डीजल की चोरी कर बाडा मालिक को बेचना था। मौके पर उपस्थित अभयसिंह की तलाशी लेने पर उसकी जेव से तोडी गई कुल 5 सील बरामद की गई तथा चोरी किया गया डीजल मौके पर पास ही रखे दो छोटे जरीकन में एवं पास ही पडे दो बडे आसमानी रंग के ड्रम जिन दोनो में आधे से ज्यादा तरल पदार्थ जो डीजल जैसा भरा हुआ था।

वही पर एक लोहे का किमा एवं 15 फिट लम्बा एक प्लास्टिक का पाईप पाया गया है 2 बडे ड्रमों की क्षमता 200–200 लीटर की है। मौके पर उपस्थित अभय सिंह से पूछने पर बताया कि 40 लीटर डीजल टैंकर नं. जी.जे. 10 टी.वी. 6282 से चोरी किया गया डीजल बाडा मालिक द्वारा क्रय किया जाता है। उक्त चोरी का डीजल उच्च दामों में अन्य लोगो को बेचान किया जाता है।

इस प्रकार अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्लघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 की SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण डीजल एवं टैंकर के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवडा व सरकार पक्ष की ओर से श्रीमती नीलिमा शर्मा अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री संतोष कुमार पुत्र श्री शोभनाथ पाल निवासी जलालपुर पुलिस थाना कासबा उतरोण जिला इलाहाबाद (उ.प्र.) हमेशा की तरह वाहन में डीजल भरकर उतरप्रदेश लेकर जाना बताया गया। रास्ते में महादेव होटल के पास पालडी एम ग्राम की सरहद में पुलिस ने उसके खडे वाहन की जॉच की तो उसमें 23958 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया ।

प्रार्थी डीजल का एक मात्र स्वामी है। जिसके इनवॉइस नम्बर 247280 दिनांक 09.01.2019 नायरा एनर्जी लिमिटेड जामनगर, गुजरात के नाम से प्रार्थी की कम्पनी एम.जे.डी. हाथरस डिपो खसरा नम्बर 86/9 एवं 87/7 उतरप्रदेश पिन कोड नम्बर 204101 है।

डीजल के थाने में पडे रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा डीजल ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है जिससे उसे अतुलनीय क्षति होगी । पुलिस द्वारा टैंकर एवं डीजल से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है। इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः डीजल का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

श्रीमती नीलिमा शर्मा अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में डीजल को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 09 दिनांक 11.01.2019 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में Daimler India Commercial Vehical RHARA TRFNZ 3123 वाहन संख्या जी.जे. 10 टी.वी. 6282 में डीजल 23958 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम के एफ. आई. आर. कमांक 09 दिनांक 11.01.2019 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया तो, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि पुलिस द्वारा Daimler India Commercial Vehical RHARA TRFNZ 3123 वाहन संख्या जी.जे. 10 टी.वी. 6282 में से 40 लीटर डीजल चोरी करते हुये पाये जाने पर डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन के सहायक चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसंधान जारी है।

डीजल को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसंधान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक एवं डीजल स्वामी को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 22,50,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

डीजल के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों से एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं कि गयी बहस से यह पाया जाता है कि वाहन में भरा हुआ डीजल चोरी का होना अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में असफल साबित हुए है।

केस डायरी का अवलोकन करने पर इनवॉइस नम्बर 247280 दिनांक 09.01.2019 नायरा एनर्जी लिमिटेड जामनगर, गुजरात के नाम से प्रार्थी की कम्पनी एम.जे.डी. हाथरस डिपो खसरा नम्बर 86/9 एवं 87/7 उतरप्रदेश पिन कोड नम्बर 204101 के नाम फॉर्म 402 (For movement of goods within the State or goods moving outside the State) के नम्बर 40032677176 दिनांक 09.01.2019 समय 02:47:56 ए.एम. दर्ज है।

जिससे पाया जाता है कि उक्त टेंकर रिफाईनरी साईट वाडीनार, जामनगर से रवाना होकर एम.जे.डी. हाथरस डिपो खसरा नम्बर 86/9 एवं 87/7 उतरप्रदेश पिन कोड नम्बर 204101 पहुंचनी थी। केस डायरी का अवलोकन करने पर पाया कि पुलिस द्वारा फर्द निरीक्षण घटना स्थल में क्रम संख्या 9 पर बनाये गये नक्शें में बताया गया है कि महादेव होटल पश्चिम दिशा में हैं। उक्त हाइवे फॉरलेन है जिससे महादेव होटल के पास बाडे (घटना स्थल) से होकर टेंकर आगे जाकर एम.जे.डी. हाथरस डिपो खसरा नम्बर 86/9 एवं 87/7 उतरप्रदेश पिन कोड नम्बर 204101 के वहां खाली किया जाना प्रतीत होता है।

इस प्रकार यह प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है कि टेंकर में भरा हुआ डीजल चोरी का होना नही माना जा सकता पुलिस द्वारा कब्जे पुलिस लिया गया टेंकर विधि अनुसार लिया जाना नही पाया जाता है। अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्ट्या यह सिद्ध करनें में असफल साबित हुए है।

थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं प्रस्तुत परिवाद के अवलोकन से पाया जाता है कि वाहन मालिक एवं डीजल मालिक एवं घटना स्थल के बाडा मालिक एवं वाहन चालक को इस प्रकरण में पक्षकार नही बनाने के पीछे क्या कारण रहा है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner

अपना स्पष्टीकरण पुलिस अधीक्षक सिरोही के मार्फत प्रस्तुत करें। आज केस डायरी के प्रस्तुत करने पर पाया जाता है कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्ट्या टैंकर में भरें हुए डीजल को चोरी का होने का कथन साबित करने में असफल रहे हैं।

डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु हैं, जिसका निस्तारण करना आवश्यक हैं । अतः वाहन में भरे हुए डीजल 23958 लीटर को उसके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 23958 लीटर डीजल जो टेंकर नं. जी.जे. 10 टी.वी. 6282 में भरा हुआ है को उसके स्वामी को जो एम.जे.डी. हाथरस डिपो खसरा नम्बर 86/9 एवं 87/7 उतरप्रदेश पिन कोड नम्बर 204101है को सुपुर्द करें एवं दो ड्रमों एवं दों जरीकन में कुल 350 लीटर डीजल भरा हुआ है को नियमानुसार लाईसेंस होल्डर डीलर/पेट्रोलपंप डीलर को कम्पनी दर पर दिलवा कर प्राप्त राशि बतौर अमानत राजकोष में जमा करावें एवं टेंकर की सील डीजल निकालने के उपकरण किमा व नली जो पुलिस थाना पालडी एम में पडा हैं, को नियमानुसार साक्ष्य हेतु मूल मुकदमें कें निर्णय तक सुरक्षित रखें जाने के आदेश दियें जाते हैं।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर डीजल सुपुर्द करने हेतु जिला रसद अधिकारी सिरोही एवं थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को मूल केस डायरी के साथ भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner